- क्षेत्रीरा क्षायोताय: इत्तरखण्ड - - - - निबंधित पावती सहित REGIONA OFFICE: JHARKHAND प्रपत्र C-11

的影响的影响,这是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	INSURANCE CORPORATION
	indorvalge Corporation - चॅची =834001
18/80 -101/8/07/2/	158. फंप्स: 2261581, 2261727 103 102 heepsing 1875 1877 1877 1870/10 शाधानसम् 1948 की धारा 2 1217 1351 प्र अधार कर 10057 और
15 International Ho	erzeksepitz 181810 -
I KUMBERSHER SK	avice in Kolest
11 Strait -83461	
१५५८ - प्रवास के आधीनयन को कार्यान्त्यन क्या संशोधित क १९६८ - १९८५ के पंजीयन ।	oराव्योव शाधानयम् १९४८ को घारा २ (१२) / १ (५) क अधा । फर्नाबारयोज्योर 🔻
महा परिता करना है कि क्रांशकीट अधिकास की	यहाः—।(3) के क्षेत्रीन कन्दीय सरकार ने अधिसूचना सं०
KARALLINE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE	कार ताज के जावाज चर्माचा राजगार व आवस्याना सक् विचित्रम् के अन्तर्गत व्याप्त सभी कारखानों / स्थापनाओं के लिए अधिनियम् ः
नियम किया है। 2. १३ पन सचित करना है कि सरकार ने अधिय	बना संश्र
क्षा देशक अन्य स्थापना इतिहासक अन्यक्षों का विस्तार क्रिया है।	में के ज़िए भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(6) के अन्तर्गत
र्भ अभिनियन की धारा 2A के अधीन इस प्रकार के व	मारखाना∕स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत खुब को पंजीकृत करा लेना '
अभवत है, आर बण्टर IV प्रवान नियोजक को अपने कर्मचारिये कि अद्ध करने के लिए उत्तरदायों करार देता है।	ं का बीमा कराने और अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त ऐसे कर्मचारीया से सर्वाह
के असम्बर्ध द्वारा प्रस्तुत कारखाना /स्थापना न	ते सर्विधतः व्योराः बीमा-निर्मक्षकः शत्खाः काम्मलयः प्राध्यकः द्वाराः
ध्यारेप रोप से अधिनियम की धारा 2 (12)/4(5) की की	त्रिदेन के आधार प्रत्र आपका कारखाना / स्थापना दिनाक 3.5.0 दे से त्रिने हैं। तथापि यदि अनुवर्ती तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपका
किएटोजि / रेगामा उपर जोल्लीखनु निर्ध के पहले की तिथि। किरम	से व्याप्तियाथा वा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन प्रारंभिक तिथि से ही
अपनी अनुराध है कि अधिनियम के अधीन अपने जार संगार कर अवतान का मगलान कर का अधिन अस्तर अस्तर	बाता / स्थापना की व्याप्ति की तिथि से घोषणा प्रपन्न भरकर अंशदान विवरणी. पा कर जुपने कर्मवारियों के पंजीयन हेतु तत्काल कवा सुनाया।
🦺 💢 हिन्दा के लिए आपकी स्थापना को केंट संख्या 🕰	१८/२८/४८ र ८८/ आवटित की गई है। कपया इस कर संस्था हरे राज
मिनकाय १५ १५, २८७/मा निहेश द दिसे सर्वे हैं कि होज	हें के अनुभ भाना को भाज जानवाले सभी प्रपूत्रों में प्रयोग करें। नियम के शाखा ना के अनुभ में किसी प्रकार की कोंटेनाई होने पर आक्री आवश्यक सहायता
हिन भापस अनुसंब है कि कृपया / अपर्युक्त शाखा कार्यालय व	हे प्रबन्धक से सपर्क करें। वह इस मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे। पंधालय, बीमा विकित्सा व्यवसायी के चवन हेतु बीमा चिकित्सा व्यवसायी राज्य
अवामा आपनाल्य का प्रचारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अपे	अनुराम करता अवस्था संवताया ये वसव हतु याचा साकरसा व्यवसाया राज्य क्षित प्रपन्न आदि कुमया उपर इत्लिखित सांखा कार्यालय से प्राप्त करें। आपके
क्षामी कर्मचारा इत्लिखित शाखा कार्यालय से संबद्ध होंगे। किंग्यान के कर्मचारा / अधिकारी कर्मचारी राज्य वीगा	अधिनियम 1948 के अधीन आपके कर्त्यों और दापित्यों के अनुपात्का के लिए
इंबापको सभी आवश्यक और सभव फंडायता प्रदान करने में प्रस	नता का अनुभव करेंगे और भेस विश्वास है कि आपको ओर से कर्मचारी राज्य
्रिया आधारियम् और विनियनों के स्पर्वधी का शीघ और समय इय्यान नियोजक (Principal Employer) कर्मचारी राज्य बीमा व	मिनियम की घारा 40(1) तथा 41 के अन्तर्गत अपने ठीकेदार (क०स०वी० कट
तिस्था सहित अथवा रहित) हास् तियोजित कर्मचारियों के देन 	न्यारी से मुक्त तहीं होगें
	्रिप् अग्री चेप्यानिक
। प्रतिलिमि सूबना एवं आवश्यक कार्यनाई हेतुः प्रेसिन	(खप निर्देशके) ⁰
हो। योस निरोक्षक श्री: <u>१</u> ००० है	
सं व्याप्ति हेतु आवश्यक प्रतिवेदन भेजें। " १४ अभिय कार्यासम्य प्रबन्धकी	
🖁 ३ । लेजर शाखा, क्षेत्रीय कार्यालेय, रॉबी।	

ोसन मिन्टस परमटाली राङ स्वोग्र 10/04/2000

अधदान शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची। होक्षय कार्यालय भविष्यमि<mark>षि, रॉली ।</mark> 'स्तरान कर्मचारियो की अर्प्या